



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122021-231733
CG-DL-E-09122021-231733

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4703]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2021/ अग्रहायण 17, 1943

No. 4703]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2021/ AGRAHAYANA 17, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5077(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 715, तारीख 17.02.2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 17.02.2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा NH-752-बी (जीरापुर सुसनेर एम. पी. आर. जे. बॉर्डर रोड) (तहसील जीरापुर) के कि.मी. 0+000 से 40+500 कि.मी. तक के लिए भूखण्ड के निर्माण, (चार लेन का बनाने/चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन फ्री प्रेस में शनिवार 06 मार्च 2021 और पत्रिका में शनिवार 06 मार्च 2021 को प्रकाशित किया गया था

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हे
या

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के अगर मालवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-752-बी के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 40+500 तक (जीरापुर सुसनेर एम. पी. आर. जे. बॉर्डर रोड) (तहसील जीरापुर) के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: राजगढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जीरापुर				
	गांव का नाम: हरीपुरा				
1	10	निजी	असिंचित	0.081	मानसिंह पिता हनुमंत सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम धतरावदा जीरापुर राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (10)
2	11/1/1/1/8	निजी	असिंचित	0.156	धीरप सिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम धतरावदा जीरापुर राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (11/1/1/1/8/2)
3	11/1/1/1/8	निजी	असिंचित	0.156	करतार सिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम धतरावदा जीरापुर राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (11/1/1/1/8/4)
4	11/1/1/1/9	निजी	असिंचित	0.312	कंकू बाई बेवा किशन उन्कारलाल प्रभुलाल घिसलाल भेरूलाल पिता किशन कालीबाई मेहताब बाई पिता किशन जाति बागरी पता निवासी गांव धतरावदा भूमि स्वामी (11/1/1/1/9)
5	7	निजी	सिंचित	0.345	अयोध्या बाई पत्नी रोशन सिंह जाति गुर्जर पता निवासी गांव सेंदली जीरापुर राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (7)
6	8/1	निजी	सिंचित	0.356	अयोध्या बाई पत्नी रोशन सिंह जाति गुर्जर पता निवासी गांव सेंदली जीरापुर राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (8/1)

7	9/1	निजी	सिंचित	0.249	अयोध्या बाई पत्नी रोशन सिंह जाति गुर्जर पता निवासी गांव सेंदली जीरापुर राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (9/1)
			कुल	1.6550	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/36/2018-19/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th December, 2021

S.O. 5077(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O. 715 dated 17.02.2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/Four - Laning, etc.) Maintenance, management and operation of National Highway-No. 752-B on the stretch of land from Km 0+000 to 40+500 K.m. in (Jirapur Susner MPRJ-Border-Road) (Tehsil-Jirapur) in the state of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Free Press” 06 March 2021 Saturday, and “Patrika” 06 March 2021 Saturday, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority;

Or

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the Said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances,

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. 0+000 to 40+500 km. (Jirapur Susner MPRJ-Border-Road) (Tehsil-Jirapur) Of the National Highway-no. 752B in the district of AGAR MALWA in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: RAJGARH		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jirapur				
	Village: Haripura				
1	10	Private	Non Irrigated	0.081	Mansingh Father Hanumant Singh Caste Rajput Address Resident village Dhatrawada Jirapur Rajgarh Madhya

					Pradesh Land Owner 10
2	11/1/1/8	Private	Non Irrigated	0.156	Dhirap singh Father Banesingh Caste Rajput Address Resident village Dhatrawada Jirapur Rajgarh Madhya Pradesh Land Owner 11/1/1/8/2
3	11/1/1/8	Private	Non Irrigated	0.156	Kartar singh Father Banesingh Caste Rajput Address Resident village Dhatrawada Jirapur Rajgarh Madhya Pradesh Land Owner 11/1/1/8/4
4	11/1/1/9	Private	Non Irrigated	0.312	Kanku Bai Beva Kishan Unkarlal Prabhulal Ghislal Bherulal Father Kishan Kalibai Mehtab Bai Father Kishan Caste Bagari Address Resident village Dhatrawada Land Owner 11/1/1/9
5	7	Private	Irrigated	0.345	Ayodhya Bai wife Roshan singh Caste Gurjar Address Resident village Sendali Jirapur Rajgarh Madhya Pradesh Land Owner 7
6	8/1	Private	Irrigated	0.356	Ayodhya Bai wife ROshan singh Caste Gurjar Address Resident village Sendali Jirapur Rajgarh Madhya Pradesh Land Owner 8/1
7	9/1	Private	Irrigated	0.249	Ayodhya Bai wife ROshan singh Caste Gurjar Address Resident village Sendali Jirapur Rajgarh Madhya Pradesh Land Owner 9/1
			TOTAL	1.655	

[F. No. CE-RO BPL/30010/36/2018-19/3D2]

RAJESH GUPTA, Director